कार्यालय : न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ, (राज.)

Telephone/Fax-01478-220077 :: **E-Mail :- fc-pra-rj@hcraj.nic.in**

क्रमांक :– स्थापना / 2021 / 40 दिनांक :– 25.05.2021

–::आदेश ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 10 / पी.आई / 2021 / दिनांक 24.05.21 के अनुसरण मे परिवर्तित परिस्थितियों मे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 25–05–2021 से दिनांक 08–06–2021 तक निम्न कार्य व्यवस्था अमल मे लाई जाती है :–

01.– कोई भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र जो इस न्यायालय से संबंधित है, उन्हें इस न्यायलय के अधिकृत ई–मेल पता **fc-pra-rj@hcraj.nic.in** पर ही भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालु होता है, उस समय उस प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि की मूल प्रति पक्षकार / अधिवक्ता द्वारा इस अधिकरण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। उपरोक्त अधिकृत ई–मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार / अधिवक्ता के वह मोबाईल नम्बर जिस पर वॉट्स एप है, का विवरण तथा पक्षकार / अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई–मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा और उसके बिना अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होंगे।

02.– अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवायी विडियो कोन्फ्रेसिंग के द्वारा विडियों कॉल / वॉट्स एप / वाईस कॉल के माध्यम से ही की जायेगी।

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती हैं। यदि किसी प्रकरण मे स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि	
	समस्त सिविल प्रकरण	पारिवारिक प्रकरण (धारा 125 दं0प्र0सं0 के प्रकरणों सहित)
25–05–2021	06–07–2021	09–06–2021
26–05–2021	30–06–2021	10–06–2021
27–05–2021	01–07–2021	11–06–2021
28–05–2021	06–07–2021	09–06–2021
29–05–2021	03–07–2021	09–06–2021
31–05–2021	–––	14–06–2021
01–06–2021	–––	15–06–2021
02–06–2021	–––	16–06–2021
03–06–2021	–––	17–06–2021
04–06–2021	–––	16–06–2021
05–06–2021	–––	17–06–2021
07–06–2021	–––	14–06–2021
08–06–2021	–––	15–06–2021

नोट :– प्रकरण CM (38) क्रमांक 40 / 2021 अनवान विशेषज्ञ दत्तक एजेन्सी बनाम नोएल जेहरा वगैरा अन्तर्गत धारा 59(7) J.J. Act. में आगामी पेशी दिनांक 26.05.2021 से 10.06.2021 नियत की जाती है।

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता हैं तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

Sd/-

न्यायाधीश

पारिवारिक न्यायालय

प्रतापगढ़ (राज.)